



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243793
CG-DL-E-22022023-243793

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 778]
No. 778]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

का.आ. 811(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के साथ परामर्श करके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास, कोलकाता (तत्कालीन कोलकाता पत्तन न्यास) को, स्लीपर कार्य, रेल पटरियों के नवीकरण, मरम्मत, प्रत्यावर्तन और पटरियों के बिछाने या जोड़ने के कार्य में ठेका श्रमिक के नियोजन की बाबत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7 जुलाई, 2005 में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 959(अ), तारीख 7 जुलाई, 2005 की प्रयोज्यता से ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 25 के उप-नियम (2) के खंड (v) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्ययन रहते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी ओर दो वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. एस-16012/03/2015-एल.डब्ल्यू]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2023

S.O. 811(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (erstwhile Kolkata Port Trust) from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 959(E), dated the 7th July, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th July, 2005, in respect of employment of contract labour in the works of sleeper, renewal of railway tracks, repairing, restoration, laying and linking of tracks for a further period of two years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to compliance with the conditions specified under sub-clause (a) of clause (v) of sub-rule (2) of rule 25 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971.

[F. No. S-16012/03/2015-L.W]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.